



Neutral Citation No.-2026:AHC:63594

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 9869 वर्ष 2026

जीवन लाल

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : ऋषभ श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री ऋषभ श्रीवास्तव, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान ए.जी.ए. श्री नितेश कुमार श्रीवास्तव, को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत, आवेदक जीवन लाल की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 657/2025, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 61(2), 238 बी.एन.एस. और आईटी अधिनियम की धारा 66 (डी) के तहत थाना कोतवाली कर्वी, जिला चित्रकूट में दर्ज किया गया था, में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को चित्रकूट जिले के राजकीय कोषागार से उसके बैंक खाते में 10,30,560/- रुपये प्राप्त हुए थे। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने उक्त राशि को राज्य कोषागार में वापस कर दिया है। सह-अभियुक्त कैलाशनाथ पांडे को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9080/2026 में दिनांक 17.3.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक, जो दिनांक 24.2.2026 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में भारी संख्या में मामलों की लंबितता के मद्देनजर, परीक्षण के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं है।
4. इसके विपरीत विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।
5. आवेदक ने बताया कि जिला-चित्रकूट के राजकीय कोषागार से उसके बैंक खाते में 10,30,560 रुपये प्राप्त हुए थे। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने उक्त राशि को राजकीय कोषागार में वापस कर दी है। सह-अभियुक्त कैलाशनाथ पांडे को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9080/2026 में दिनांक 17.3.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक दिनांक 24.2.2026 से जेल में बंद है।
6. सभी तथ्यों, उनकी प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।



7. उपरोक्त प्रकरण में शामिल आवेदक-जीवन लाल की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत अनुबंध और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

(1) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ से रोका जा सके।

(2) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(3) आवेदक, व्यक्तिगत रूप से, विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले को शुरू करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहेगा।

(4) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(5) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, विचारण न्यायालय साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

मार्च 24, 2026

कुमार मनीष

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।